फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	२६/५/२५	पत्रावली पेश हुई। वकुलाव द्वारा कन्डोलेन्स/ कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक ०७/६/२५ को पेश हो।
	07/06/25	पत्रावली पूर्व नियत तारीख पेशी 20/6/25 से, प्रा०पत्र शीघ्रसुनवाई स्वीकार होने पर तलब होकर दिनांक 13/06/25 को पेश हो। पत्रावली पूर्वादेशानुसार पेश हो। (हस्ताक्षर)
	13/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप. प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से कुर्रैजात रिपोर्ट पर आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्ते बहस आपत्ति कुर्रैजात प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 25/6/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
	25/06/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप०। पूर्व में पेश प्रा०पत्र आपत्ति कुर्रैजात का जवाब पेश हो जाने पर प्रा० पत्र आपत्ति कुर्रैजात पर बहस वकील उभयपक्ष की सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार तूंगा के पत्रांक LR/2024/58 दिनांक 08/01/25 का अवलोकन करने तथा बहस प्रा० पत्र आपत्ति कुर्रैजात का सगौर मनन करने के पश्चात स्पष्ट है कि दिनांक 08/01/25 को प्राप्त (हस्ताक्षर)

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्ती

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विभाजन नियम 18 से 21 के अनुरूप विभाजन प्रस्ताव तैयार होकर प्राप्त हुआ है। इस आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 3 द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र आपत्ति कुर्रैजात को खारिज किया जाता है। प्रकरण बंटवारा से संबंधित होने तथा पूर्व में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने से वादी अधिवक्ता ने वाद की तहसीलदार तूंगा द्वारा दिनांक 08/01/24 के अनुसार अन्तिम डिक्री किये जाने हेतु अपना निवेदन किया। जिस पर बहस उभय पक्ष अधिवक्ता की सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सभी दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस पर सगौर मनन करने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा जाहिर सहमति के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 173 रकबा 0.0253 हे०, ख.नं. 174 रकबा 1.2392 हे०, ख.नं. 181 रकबा 0.0253 हे०, ख.नं. 182 रकबा 1.5933 हे० स्थित ग्राम दूबली प.ह. मद.' ILR तूंगा, तह० तूंगा	mm

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	
		जिला जयपुर में से तथा ख.न. 180 रकबा 0.1897 हे० स्थित ग्राम दूबली प.ह. गढ़ तह० बस्सी जिला जयपुर में से ख.न. 173 रकबा 0.0253 हे०, ख.न. 174/5 रकबा 0.0644 हे०, ख.न. 182/5 रकबा 0.0370 हे० की भूमि खातेदार कैलाशचन्द पुत्र रमशी उर्फ रामसहाय हिस्सा 1/9 जाति हरि० ब्राह्मण सा० देह, रामस्वरूप पुत्र रमशी उर्फ रामसहाय हि० 1/9 जाति हरि० ब्राह्मण सा. देह, शिवसहाय पुत्र रमशी उर्फ रामसहाय हि. 1/9 जाति हरि० ब्राह्मण सा. देह, शंकर पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/3 जाति हरि० ब्राह्मण सा. देह राहिन RMGB शाखा तूंगा, रामजीलाल पुत्र माधो हिस्सा 1/3 जाति हरि० ब्राह्मण सा. देह खातेदार के हिस्से में रहेगी तथा ख.न. 174/4 रकबा 0.3000 हे०, ख.न. 180/2 रकबा 0.0300 हे०, ख.न. 182/1 रकबा 0.6520 हे० की भूमि खातेदार कैलाशचन्द पुत्र रमशी उर्फ रामसहाय हिस्सा 1/3 जाति हरि० ब्राह्मण, रामस्वरूप पुत्र रमशी उर्फ रामसहाय हिस्सा 1/3 जाति हरि० ब्राह्मण, शिवसहाय पुत्र रमशी उर्फ रामसहाय हिस्सा 1/3 जाति हरि० ब्राह्मण सा. देह खातेदार के हिस्से मे रहेगी तथा ख.न. 174/3 रकबा 0.3580 हे०,	
	(mn)		

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		ख.नं. 180/1 रकबा 0.1597 हे० ख.नं. 181 रकबा 0.0253 हे०, ख.नं. 182/3 रकबा 0.4391 हे० की भूमि खातेदार शंकर पुत्र – जगन्नाथ हिस्सा पूर्ण जाति हा° ब्राह्मण। साकिन RMGB शाखा तूंगा। के हिस्से में रहेगी। तहसीलदार तूंगा द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव भी अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार तहसीलदार तूंगा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्य- वाही करें। अनुमोदित विभाजन प्रस्ताव व नक्शे की प्रति – तहसीलदार तूंगा को भिजवाया जावें। इस आशय की तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा जारी हो। यह निर्णय आज दिनांक 24/06/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर	

अंतिम डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कनक जैन (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी,जयपुर ग्रामीण

वादी

1. रामजीलाल पुत्र माधो उर्फ महादेव जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम दूबली तहसील तूंगा जिला जयपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. कैलाशचन्द्र पुत्र रमसी उर्फ रामसहाय
2. रामस्वरूप पुत्र रमसी उर्फ रामसहाय
3. शंकर पुत्र जगन्नाथ
4. शिवसहाय पुत्र रमसी उर्फ रामसहाय जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम दूबली तहसील तूंगा जिला जयपुर।
5. उपपंजीयक तूंगा तहसील तूंगा जिला जयपुर।
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।

<u>दावा बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955</u>

मुकदमा नम्बर 254/2022

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 173 रकबा 0.0253 है0, ख.नं. 174 रकबा 1.2392 है0, ख.नं. 181 रकबा 0.0253 है0, ख.न. 182 रकबा 1.5933 है0 तथा ख.नं. 180 रकबा 0.1897 है0 स्थित ग्राम दूबली प.ह. गढ़ भू0अ0नि0 तूंगा तहसील तूंगा जिला जयपुर में से ख.नं. 173 रकबा 0.0253 है0, ख.नं. 174/5 रकबा 0.0644 है0, ख.नं. 182/5 रकबा 0.0370 है0 की भूमि खातेदार कैलाशचन्द पुत्र रमशी उर्फ रामसहाय हिस्सा 1/9 जाति हरियाणा ब्राहमण सा.देह रामस्वरूप पुत्र रमशी उर्फ रामसहाय हिस्सा 1/9 जाति हरियाणा ब्राहमण सा.देह शिवसहाय पुत्र रमशी उर्फ रामसहाय हिस्सा 1/9 जाति हरियाणा ब्राहमण सा.देह शंकर पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/3 जाति हरियाणा ब्राहमण सा.देह राहिन आर0एम0जी0बैंक शाखा तूंगा रामजीलाल पुत्र माधो हिस्सा 1/3 जाति हरियाणा ब्राहमण सा.देह खातेदार के हिस्से में रहेगी तथा ख.न. 174/4 रकबा 0.3000 है0, ख.न. 180/2 रकबा 0.0300 है0, ख.न. 182/1 रकबा 0.6520 है0 की भूमि खातेदार कैलाशचन्द पुत्र रमशी उर्फ रामसहाय हिस्सा 1/3 जाति हरियाणा ब्राहमण सा.देह रामस्वरूप पुत्र रमशी उर्फ रामसहाय हिस्सा 1/3

सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर

जाति हरियाणा ब्राह्मण सा.देह शिवसहाय पुत्र रमशी उर्फ रामसहाय हिस्सा 1/3 जाति हरियाणा ब्राह्मण सा.देह खातेदार के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 174/3 रकबा 0.3580 है0, ख.नं. 180/1 रकबा 0.1597 है0, ख.नं. 181 रकबा 0.0253 है0, ख.नं. 182/3 रकबा 0.4391 है0 की भूमि खातेदार शंकर पुत्र जगन्नाथ हिस्सा पूर्ण जाति हरि. ब्राह्मण राहिन आर0एम0जी0बैंक शाखा तूंगा के हिस्से में रहेगी। तहसीलदार तूंगा द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव भी अंतिम डिकी का भाग रहेगा। उक्तानुसार तहसीलदार तूंगा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। अनुमोदित विभाजन प्रस्ताव व नक्शे की प्रति तहसीलदार तूंगा को भिजवाया जावें। ....निजी..................मुवलिक......................बावत..................................खर्चा...इस मुकदमें का मय सूद वगैरह....................फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक..........................को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 24.06.2024 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तख्त.........................

सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर

ओहदा..........................

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण